भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 936
दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार

936. श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
श्री संजय दिना पाटीलः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री बृजमोहन अग्रवालः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने फार्मा-मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा (पीआरआईपी) देने की योजना को बढ़ावा देने के तहत अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और यदि हां, तो उक्त योजना के उद्देश्यों, घटकों और इसके कुल वित्तीय परिव्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना का लक्ष्य लगभग 300 अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है और यदि हां, तो अनुसंधान और विकास के लिए औरंगाबाद में फार्मा सिटी या पुणे और मुंबई में पहचाने गए बायोटेक संकुल का ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र के उन अनुसंधान संस्थानों, स्टार्ट-अप्स और उद्योगों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने उक्त योजना के तहत आवेदन किया है या जिन्हें चयनित किया गया है;

(घ) क्या सरकार का उक्त पहल के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में फार्मा और मेडटेक इनोवेशन हब, परीक्षण सुविधाओं या उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने/मजबूत करने का प्रस्ताव है;

(ङ) महाराष्ट्र राज्य में फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता और अनुसंधान क्षमता पर पीआरआईपी योजना का अपेक्षित प्रभाव क्या है; और

(च) विभाग द्वारा नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में मध्य भारत के सबसे बड़े फार्मा पार्क के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): पीआरआईपी योजना के उद्देश्यों, घटकों और कुल वित्तीय परिव्यय के साथ इसका विवरण निम्नानुसार हैं:

(i) पीआरआईपी योजना का उद्देश्य देश में अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ करके भारतीय फार्मा मेडटेक क्षेत्र को लागत आधारित से नवाचार आधारित विकास में परिवर्तित करना है।

(ii) इसके दो घटक हैं, अर्थात् घटक क: राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) में उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना के माध्यम से अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ करना और घटक ख: फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार का संवर्धन करना।

(iii) घटक क के अंतर्गत कुल सात सीओई स्थापित किए गए हैं अर्थात्, मोहाली, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, रायबरेली, हाजीपुर और हैदराबाद में स्थापित सात नाईपरों में प्रत्येक में एक सीओई स्थापित किया गया है।

(iv) घटक ख का उद्देश्य उत्पादों और प्रौद्योगिकियों (आउटपुट्स) के विकास हेतु अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को सहयोग प्रदान करने या तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, अर्थात् नई दवाओं, जटिल जेनेरिक और बायोसिमिलर, तथा नवीन चिकित्सा उपकरणों, में बाजार में लॉन्च और बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण हेतु अनुसंधान एवं विकास परिणामों के शीघ्र सत्यापन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस घटक के अंतर्गत, औषध विभाग ने औषध और मेडटेक उद्योग तथा स्टार्टअप्स से अनुसंधान एवं नवाचार परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

(v) इस योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 5,000 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग): यह आशा की जाती है कि यह योजना लगभग 300 अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करके फार्मा-मेडटेक नवाचार पाइपलाइन को गति प्रदान करेगी। वास्तविक संख्या योजना के वित्तीय परिव्यय और स्वीकृत परियोजनाओं की परियोजना लागत पर निर्भर करेगी। इस योजना में किसी फार्मा सिटी या बायोटेक क्लस्टर की स्थापना की परिकल्पना नहीं की गई है।

शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में से, केवल नाईपर ही इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के पात्र हैं। जिन नाईपर संस्थानों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, उनका विवरण भाग (क) के उत्तर में दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया में स्टार्टअप्स और उद्योगों को उस राज्य की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है जहाँ वे पंजीकृत हैं।

(घ): यह योजना औषध और मेडटेक उद्योग तथा स्टार्टअप को चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उनके अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। महाराष्ट्र राज्य के किसी भी नवाचार केंद्र या उत्कृष्टता केंद्र सहित देश में कहीं भी स्थित उद्योग और स्टार्टअप इस सहायता को प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अलावा, लाभार्थी उद्योग और स्टार्टअप को संस्थागत अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सहित प्रतिष्ठित सरकारी शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, ऐसी परियोजनाओं के लिए जहां इस तरह की सहभागिता के अन्तर्गत सृजित की गई पूंजीगत संपत्ति लाभार्थी द्वारा ऐसे संस्थान को हस्तांतरित की जाती है, परियोजना आउटपुट के सफल व्यावसायीकरण की स्थिति में भुगतान किए जाने वाले लाभ-हिस्से का भुगतान हस्तांतरित परिसंपत्तियों के मूल्य की सीमा तक नहीं करना होगा। ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति में परीक्षण सुविधाओं सहित प्रयोगशाला उपकरण आदि शामिल हो सकते हैं।

(ङ): इस योजना से निम्नलिखित के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहित भारत में औषध और मेडिकल डिवाइस क्षेत्रों में रोजगार सृजन, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और अनुसंधान क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है —

(i) विश्व स्तरीय अनुसंधान वातावरण को बढ़ावा देकर अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ करना, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना और अनुसंधान एवं विकास और नवाचार के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना;

(ii) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उद्योग-अकादमिक संबंधों की स्थापना और संवर्द्धन करना तथा कुशल व्यवसायियों के एक सुदृढ़ प्रतिभा पूल को संपोषित करने के लिए नाईपरों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना;

(iii) भारत में उद्योग को आगे बढ़ने में सक्षम करना और अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करना, जिससे देश में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन में योगदान हो; और

(iv) लाभार्थी उद्योगों और स्टार्टअप्स द्वारा व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों के शुरूआत के लिए सहयोग, जिससे क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में तेजी आएगी और देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देते हुए निरंतर वैश्विक प्रतिस्पर्धी लाभ सुनिश्चित होगा।

(च): औषध विभाग द्वारा ऐसे किसी विकास को मंजूरी प्रदान नहीं की गई है।
